DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

GOVT. OF NCT OF DELHI
1-A, PANDIT RAVI SHANKAR SHUKLA LANE, K.G. MARG
NEW DELHI-110001

NATIONAL AWARD FOR CHILD WELFARE FOR THE YEAR 2016

The Govt. of India, Ministry of Women & Child Development, Shastri Bhawan, New Delhi has instituted the National Award for Child Welfare for the year 2016 to be awarded to three individuals and five institutions who have rendered the best work for the welfare of Children for some years. Paid officers of the institutions will not be eligible for the selection. The Award carries a cash prize of Rs. 3 lakhs (Rupees Three Lakhs Only) and a citation to each institution and Rs. 1 lakh (Rupees One Lakh Only) and a citation to each individual.

Applications are invited from the individual/institutions providing quality service to children in the National Capital Territory of Delhi and may submit their applications **addressed to the Director, Department of Women & Child Development which should reach latest by 10.7.2017 till 5.00 P.M.**

The Application form and Scheme may be downloaded from the website www.wcd.nic.in

RAJIV GANDHI MANAV SEWA AWARDS FOR SERVICE TO CHILDREN FOR THE YEAR 2017

The Ministry of Women & Child Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi has instituted the Rajiv Gandhi Manav Sewa Award for Service to Children for the Year 2017. The Rajiv Gandhi Manav Sewa Awards for Service to Children are presented annually to three individuals who have made outstanding contribution in the following fields for over 10 years.

a) Child Development
b) Child Protection
c) Child Welfare

Paid officers of the institutions will not be eligible for the selection. The Award carries a cash prize of Rs. 1 Lakh, Silver Plaque and a Citation to each awardee.

Applications are invited from the individual providing quality service to children in the National Capital Territory of Delhi and may submit their applications **addressed to the Director, Department of Women & Child Development, which should reach latest by 10.7.2017 till 5.00 p.m.**

Application form and Scheme may be downloaded from the website www.wcd.nic.in

NATIONAL CHILD AWARD FOR EXCEPTIONAL ACHIEVEMENT FOR THE YEAR 2017

Applications are invited for National Child Award for Exceptional Achievement 2017, to give recognition to children with exceptional abilities and outstanding caliber in different fields such as Innovation, Scholastic achievement sports, arts, culture, social service, music and any field which deserves recognition as per the decision of the central/National selection Committee.

The applicant should be the resident of the National Capital Territory of Delhi, in age group 5 to 18 years as on 31.7.2017. The eligible children may submit their applications along with age certificate (Date of birth) duly attested by a Gazetted officer, two passport size recent photographs, Aadhar number, press clippings, certificates and other supporting documents, **addressed to the Director, Department of Women & Child Development which should reach latest by 10.07.2017 till 5.00 p.m.**

The scheme and the application form can be downloaded from the website www.wcd.nic.in

हिन्दुस्तान टाइम्स पृष्ठ 10 दिनांक 30.6.17

DIRECTOR
(Department of Women & Child Development)

SAVE A CHILD FROM SEXUAL ASSAULT, SEXUAL HARASSMENT AND PORNOGRAPHY

Inform to the nearest Police Station OR Dial - 1098 (CHILD HELPLINE)

DIP/Shabdarth/0905/17-18

महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
1-ए पंडित रविशंकर शुक्ला लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

वर्ष 2016 के लिए बाल कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली द्वारा 2016 के दौरान बाल कल्याण हेतु, बाल कल्याण के क्षेत्र में कुछ वर्षों के दौरान श्रेष्ठ कार्य करने वाले तीन व्यक्तियों और पांच संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। संस्थानों के वैतनिक अधिकारी चयन के योग्य नहीं हैं। पुरस्कार के रूप में प्रत्येक संस्थान को 3 लाख रु. (रु. तीन लाख केवल) नकद और सम्मान दिया जाएगा तथा प्रत्येक चयनित व्यक्ति को 1 लाख रुपये नकद और सम्मान दिया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में बच्चों की उत्कृष्ट सेवा का प्रबंध करने वाले व्यक्तियों/संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और वे अपने आवेदन निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में दिनांक 10.7.2017 सायं 5.00 बजे तक जमा करा सकते हैं।

आवेदन फार्म और योजना वेबसाइट **www.wcd.nic.in** से डाउनलोड की जा सकती है।

वर्ष 2017 के लिए बच्चों की सेवा हेतु राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ने वर्ष 2017 के लिए बच्चों की सेवा हेतु राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार संस्थापित किए हैं। राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ऐसे तीन व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जिन्होंने निम्न क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

बाल विकास   बाल सुरक्षा   बाल कल्याण

संस्थानों के वैतनिक अधिकारी चयन के योग्य नहीं हैं। पुरस्कार में एक लाख रु. का नकद पुरस्कार और प्रत्येक के लिए सम्मान सम्मिलित है। उन व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बच्चों की उत्कृष्ट सेवा की हो और वे आवेदन, निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में दिनांक 10.7.2017 सायं 5.00 बजे तक जमा करा सकते हैं।

आवेदन फार्म और योजना वेबसाइट **www.wcd.nic.in** से डाउनलोड की जा सकती है।

वर्ष 2017 के लिए असाधारण उपलब्धियों हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न क्षेत्रों जैसे शैक्षणिक, कला, संस्कृति और खेल, समाज सेवा व संगीत सेवा आदि में असाधारण क्षमता व विशिष्ट क्षमता वाले बच्चों को पहचान देने के लिए "असाधारण उपलब्धियों हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2017 के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।" राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी बालक आवेदन भेज सकते हैं।

इन पुरस्कारों की योग्यता के लिए 31.7.2017 तक बालक 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग का होना अनिवार्य है। सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित उम्र के प्रमाण पत्र सहित दो पासपोर्ट आकार की फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, प्रेस विज्ञप्ति, प्रमाण पत्र और अन्य सहायक दस्तावेज, उपलब्धियों का प्रमाण, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में दिनांक 10.7.2017 सायं 5.00 बजे तक जमा करा सकते हैं।

आवेदन फार्म और योजना वेबसाइट **www.wcd.nic.in** से डाउनलोड की जा सकती है।

[illegible] 17

दिनांक 30-6-17

हस्ता/-
निदेशक, (महिला एवं बाल विकास विभाग)

बच्चों को यौन शोषण, शारीरिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बचाएं। नजदीक के पुलिस स्टेशन को सूचित करें अथवा डायल करें-1098 (बाल हेल्पलाइन)

DIP/Shabdarth/0905/17-18

...ce of the Secretary/SW/WCD
Deptt. of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi
01 MAY 2017
Dy. No. 1924

276

DIR. WCD
Diary No. 469
Dated 2/5/17
Govt. of NCT of Delhi

CW-I-19/2/2016-CW-I
Government of India
Ministry of Women and Child Development
(Child Welfare)

Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Dated: 17.04.2017

To

Principal Secretaries
All States /UTs

Subject: Seeking Nominations/applications for the awards viz. Nat ional Award for Child Welfare 2016 , Rajiv Gandhi Manav Seva Award, 2017 and National Child Award for Exceptional Achievment, 2017 – reg.

Sir/ Madam,

I am directed to say that this Ministry has instituted awards viz. National Award for Child Welfare and Rajiv Gandhi Manav Seva Award to give due recognition to individual and institutions who make outstanding contribution towards child welfare and service. A copy of the guidelines and proforma in Hindi and English are enclosed and the same are also available on the Ministry's Website (i.e www.wcd.nic.in) under Award head. The salient features of the awards are given below :-

(1) National Award for Child Welfare for 2016

This award will be given to 3 individuals and 5 institutions for each year who have worked for the welfare of children for some years. Paid officers of institutions will not be eligible for selection. The award carries a cash prize of Rs. 3 lakh and a citation to each institution and Rs. 1 lakh and a citation to each individual. The last date for receipt of applications /nominations is 31.07.2017.

(2) Rajiv Gandhi Manav Seva Award for 2017.

This award will be given to 3 individuals who have worked for the cause of children for over 10 years in the field of Child Development ,Child Protection, and Child Welfare. Paid officers of institutions will not be eligible for selection. The award carries a cash prize of Rs . 1 lakh and a citation. The last date for receipt of applications /nominations is 31.07.2017.

(3) National Child Award for Exceptional Achievement Award, 2017

This awards will be give to children above the age of 5 and not exceeding 18 years with exceptional abilities and outstanding achievement in field of innovation, scholastic achievements, sports, arts , culture, social service, music and any other field which deserves recognition as per decision of the Central Selection Committee. One gold medal and 35 silver medals(one per each State/ UT) are given. For gold medalist, a gold medal, a cash prize of Rs. 20,000/-, book vouchers worth Rs. 10,000/- and a certificate and citation is given while for silver medalist a silver medal, a cash prize of Rs. 10,000/-, book vouchers worth Rs. 3,000/- and a certificate and citation is given. The last date for receipt of

DWCD
D.D (C.P.U.) 02/05/17
AD(CPU)
2.5.17
336/DD(CPU) 2/5/17

Applications /nominations is 31.07.2017.

2. You are requested to forward nominations/applications from your State/UT of suitable individuals and institutions in the proforma for the above mentioned awards to this Ministry. Please also ensure that wide publicity is given to the awards by giving suitable advertisement in all leading newspapers published in your State/UT.

3. You are also requested to adhere to the time limit mentioned in the awards so as to enable this Ministry to make timely selections for conferment of awards.

Encl: As above.

(Anand Prakash)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele. 011-23381857

274

NATIONAL AWARDS FOR CHILD WELFARE

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

SHASTRI BHAWAN

NEW DELHI - 110001

SCHEME OF NATIONAL AWARDS FOR THE BEST WORK DONE IN A YEAR IN THE CAUSE OF CHILDREN

INTRODUCTION

The United Nations had declared 1979 as the "International Year of the Child". The objectives of the "International Year of the Child", as delineated in the United Nations General Assembly Resolution of 21 December 1976, were as follows:-

a. To provide a framework for advocacy on behalf of children and for enhancing the awareness of the special needs of children on the part of decision-makers and the public.
b. To promote recognition of the fact that programmes for children should be an Integral part of economic and social development plans with a view to achieving, in both the long term and the short term, sustained activities for the benefit of children at the national/international levels.

2. India has been one of the leading nations to espouse the cause of the children and promote the efforts of the international community that led to the declaration of 1979 as the "International Year of the Child". The advocacy of the cause of the children and the enhanced emphasis on the programmes for the welfare of children were not confined to the year 1979 alone. Rather, the International Year of the Child was the jumping board to promote programmes of a larger dimension and create a greater awareness in the nation for the cause of children.

3. Voluntary efforts have a special place in the total efforts of the country to promote the well being of the children. A number of voluntary organizations are already engaged in this work. The dimension of voluntary action and its importance in the country are expected to grow with time.

4. As a system of state recognition of voluntary efforts for the cause of children, the Govt. of India initiated, in 1979, the scheme of State recognition of voluntary efforts in the cause of children in the country.

5. The scheme as revised from time to time, now envisages awards to (i) three individuals who have done the best work in the cause of children; and (ii) five institutions that have done the best work in any branch of child welfare.

SCOPE

6. Separate awards will be presented to individuals who have rendered the best work for the cause of children and to institutions who have rendered the best work for the cause of children in a particular year. There is no objection to an individual and the institution with whom the individual is connected receiving the award in the same year.

NATURE OF AWARDS

7. The Award for each individual (Maximum three) shall consist of:-

(i) A cash prize of Rs.1,00,000/- (Rs.One Lakh)
(ii) A citation.

8. The award to each institution (Maximum five) shall consist:-

(i) A cash prize of Rs.3,00,000/- (Rs.Three Lakh)
(ii) A citation.

PROCEDURE FOR SELECTION

9. Initially, a Committee appointed by each State/UT will make selection among individuals and institutions in a State/Union Territory. The composition of this Committee will be left to the State Government/Union Territory Administration. They may take into consideration the pattern of composition of the National Selection Committee.

10. The State/UT Selection Committee will make selections in accordance with the guidelines issued in this regard from time to time.

11. A National Committee consisting of the following persons will make final selection: -

(i)	Minister of Women & Child Development	Chairperson
(ii).	Secretary, M/o Women & Child Development	Member
(iii).	A representative of the D/o School Education & Literacy	Member
(iv).	A representative of the M/o Health & Family Welfare	Member
(v) .	A representative of the M/o Social Justice & Empowerment	Member
(vi).	President, Indian Council for Child Welfare	Member
(vii).	President, Indian Academy of Pediatrics	Member
(Viii).	Joint Secretary, M/o Women & Child Development	Member-Secretary

12. Each State Govt./UT Administration will forward its recommendation to Ministry of Women & Child Department taken by 31st July every year. Particulars of the recommended institutions should be furnished in the Performa given at Annexure 'A' and those of the individuals in Performa given as Annexure 'B'. Recommendations received after 31st July will not be considered.

CRITERIA FOR SELECTION FOR INSTITUTIONS

13. Institutions should be those that are not entirely Government funded. They could be Govt. aided or otherwise. The institutions should have been in the field of child welfare for some years and should have, to their record, a good performance in the field. The branches of institutions working independently will also qualify for selection for the award. The selection will be made solely on the basis of quality of performance and the number of children served by the institution.

FOR INDIVIDUALS

14. The individuals to be selected for the award should have worked for the cause of children for some years. Paid officers of the institutions will not be eligible for selection. The sole basis of selection will be the quality of work performed by the individual for the cause of children and its significance of the cause.

DATE OF AWARDS

15. The awards will be announced on Children's Day – 14th November every year and will be given away in New Delhi on a convenient date and time.

PROCEDURE FOR MAKING THE AWARDS

16. The selected individuals and representatives of the Institutions on behalf of the institutions selected for the awards should receive the awards personally. They will be paid travelling and daily allowances/actual expenditure incurred, by them.

ANNEXURE – A

PARTICULARS OF THE INSTITUTION FOR THE NATIONAL AWARD FOR CHILD WELFARE for the year

1 (i) Name (in Hindi & English) :
(ii) Postal address :
(iii) Telephone :
(iv) Name of contact person with designation :
(v) E-mail address :
(vi) Fax No.
(vii) Aadhar Number :

2. Year of establishment :

3. Field & nature of work undertaken by the Institution Details of work done by the Institution including places served by the Institution. :

4. Qualitative assessment of the work of the institution Whether the institution is in receipt of grant-in-aid from the State or the Central Govt. and, if so, details thereof (for the last three years). :

5. Whether the institution was visited in the past by the officers of the Central or State Govt. or by others and is so, the comments of the visiting officers. :

6. Latest inspection report by an officer of the State :

7. Remarks in detail. :

NOTE: Memorandum/Articles of Association, annual reports for the last two years and relevant documents may be sent.

...

PARTICULARS OF INDIVIDUALS FOR NATIONAL AWARDS FOR CHILD WELFARE

Attach 2- Passport size recent Photographs (duly attested)

1. (i) Name (in Hindi & English) :
   (ii) Date of birth (duly attested & birth certificate) :
   (iii) Place of birth :
   (iv) Sponsored by :
   (v) Educational Qualifications :
   (vi) Address :
   (vii) Telephone No./Mobile No. :
   (viii) Fax No. :
   (ix) Aadhar Number :

2. Institution with which the individual is connected & the nature of connection :

3. Field of activities :

4. Details of performance of the individual including the location & field of performance & the number of children. :

5. How is the performance of the individual adjudged as outstanding/Press clipping/certificate etc :

6. Funding pattern of the Institution through which individual has worked (details for the last 3 years) :

   (i) Central Govt.
   (ii) State Govt.
   (iii) From other sources

7. Funds raised by the individual from community :

8. Awards received so far :

9. Brief life sketch :

10. Remarks of the State Govt. / UT Administration regarding work of individual :

11. Sponsored by Govt./other agencies etc with details :

12. Since when engaged in child welfare activities :

राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन,

नई दिल्ली

बच्चों के हित में किसी वर्ष में किए गए सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम

परिचय

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1979 को 'अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष' के रूप में घोषित किया था । जैसा कि 21 दिसम्बर, 1976 की संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प में प्रतिपादित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(क) बच्चों की ओर से पक्ष समर्थन के लिए तथा निर्णय लेने वाले लोगों तथा आम जनता की ओर से विशेष जरूरतों वाले बच्चों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए रूपरेखा प्रदान करना ।

(ख) इस तथ्य की स्वीकृति बढ़ाना कि बच्चों के लिए कार्यक्रम आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं के अभिन्न अंग होने चाहिएं ताकि दीर्घ अवधि एवं लघु अवधि दोनों में राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बच्चों के लाभ के लिए स्थायी रूप से गतिविधियां आयोजित की जा सकें ।

2. बच्चों के हित को बढ़ावा देने तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राष्ट्रों में से भारत एक राष्ट्र है, जिसकी वजह से वर्ष 1979 को अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में घोषित किया गया । बच्चों के हितों को बढ़ावा देने तथा बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने का कार्य केवल वर्ष 1979 तक सीमित नहीं था । निःसंदेह: अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष वृहत आयाम के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा बच्चों के हित के लिए देश में अधिक जागरुकता लाने के लिए एक जम्पिंग बोर्ड था ।

3. बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए देश के समग्र प्रयासों में स्वैच्छिक प्रयासों का एक विशेष स्थान है । अनेक स्वैच्छिक संगठन इस कार्य में पहले से ही लगे हुए हैं । देश में स्वैच्छिक कार्रवाई के आयाम एवं इसकी अहमियत में समय के साथ बढ़ोतरी होने की उम्मीद है ।

4. बच्चों के हित के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को राज्य की ओर से पहचान प्रदान करने की पद्धति के रूप में भारत सरकार ने 1979 में देश में बच्चों के हित में स्वैच्छिक प्रयासों को राजकीय पहचान प्रदान करने की स्कीम शुरू की ।

5. समय-समय पर संशोधित इस स्कीम के तहत अब (i) तीन व्यक्तियों जिन्होंने बच्चों के हित में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है; और (ii) पाँच संस्थाओं जिन्होंने बाल कल्याण के किसी क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है, को पुरस्कार देने की परिकल्पना है ।

कार्यक्षेत्र

6. किसी विशेष वर्ष में बच्चों के हित के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा बच्चों के हित के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को अलग-अलग पुरस्कार दिए जाएंगे । इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति तथा संस्था को उसी वर्ष में पुरस्कार दिया जा रहा है जिससे वह व्यक्ति जुड़ा है ।

<u>पुरस्कारों का स्वरूप</u>

7. प्रत्येक व्यक्ति के लिए पुरस्कार के तहत निम्नलिखित शामिल होंगे :

I. 1,00,000/- (एक लाख) रुपये का नकद पुरस्कार
II. प्रशस्ति पत्र

8. प्रत्येक संस्था के लिए पुरस्कार के तहत निम्नलिखित शामिल होंगे :

I. 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये का नकद पुरस्कार
II. प्रशस्ति पत्र

<u>चयन की प्रक्रिया</u>

9. शुरू में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त समिति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में व्यक्तियों एवं संस्थाओं के बीच से उनका चयन करेगी । इस समिति की संरचना की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर छोड़ दी जाएगी । वे राष्ट्रीय चयन समिति की संरचना के पैटर्न को ध्यान में रख सकते हैं ।

10. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की चयन समिति समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में चयन करेगी ।

11. एक राष्ट्रीय समिति अंतिम चयन करेगी, जिसकी संरचना इस प्रकार है :

1.	महिला एवं बाल विकास मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
3.	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण परिषद	सदस्य
7.	अध्यक्ष, भारतीय बाल रोग अकादमी	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सचिव

12. प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन हर साल 31 जुलाई तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अपनी सिफारिश अग्रेषित करेंगे । संस्तुत संस्थाओं के विवरण अनुलग्नक-क में दिए गए प्रारुप में प्रस्तुत करना चाहिए तथा व्यक्तियों के विवरण अनुलग्नक-ख के अनुसार प्रस्तुत करना चाहिए । 31 जुलाई के बाद प्राप्त सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

<u>संस्थाओं के चयन के मानदंड</u>

13. संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित न हो । वे सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था या अन्यथा हो सकती है । संस्थाएं कुछ साल से बाल कल्याण के क्षेत्र में होनी चाहिए तथा इस संबंध में उनका अच्छे निष्पादन का रिकार्ड होना चाहिए । स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्थाओं की

शाखाओं को भी पुरस्कार के लिए चयन के मानदंडों को पूरा करना होगा । चयन केवल निष्पादन की गुणवत्ता तथा संस्था द्वारा सेवित बच्चों की संख्या के आधार पर किया जाएगा ।

व्यक्तियों के लिए

14. पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा कुछ वर्षों से बच्चों के हित के लिए काम किया गया होना चाहिए । संस्थाओं के वेतनभोगी अधिकारी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे । चयन का एकमात्र आधार बच्चों के हित के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता तथा बच्चों के हितों के लिए इसका महत्व होगा ।

पुरस्कार की तिथि

15. पुरस्कारों की घोषणा हर साल अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस – 14 नवम्बर को की जाएगी तथा किसी भी सुविधाजनक तिथि एवं समय पर नई दिल्ली में दिए जाएंगे ।

पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया

16. पुरस्कार के लिए चुने गए व्यक्ति तथा चुनी गई संस्थाओं की ओर से संस्थाओं के प्रतिनिधि निजी तौर पर पुरस्कार ग्रहण करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उनको यात्रा व्यय तथा दैनिक भत्ता/वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा ।

264

अनुलग्नक-क

<u>वर्ष हेतु राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के लिए संस्थाओं का विवरण</u>

1 (i) नाम
(हिंदी और अंग्रेजी में)
(ii) पत्राचार का पता
(iii) टेलीफोन
(iv) पदनाम के साथ संपर्क व्यक्ति का नाम
(v) ई-मेल का पता
(vi) फैक्स नं.
(vii) आधार नम्बर

2. स्थापना का वर्ष

3. संस्था द्वारा किए गए कार्य का क्षेत्र एवं स्वरूप, संस्था द्वारा सेवित स्थानों सहित संस्था द्वारा किए गए कार्य का विवरण

4. संस्था के कार्य का गुणवत्ता की दृष्टि से मूल्यांकन, क्या संस्था राज्य सरकार या केंद्र सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करती है और यदि हां तो उसका ब्यौरा (पिछले तीन वर्षों के लिए)

5. क्या पूर्व में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा या अन्यों द्वारा संस्था का दौरा किया गया है और यदि हां तो दौरा करने वाले अधिकारियों की टिप्पणियां

6. राज्य के किसी अधिकारी द्वारा नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट

7. विस्तृत अभ्युक्तियां

<u>टिप्पणी : पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, संगम ज्ञापन/अनुच्छेद तथा इसी तरह के दस्तावेज भेजे जाएं।</u>

263

अनुलग्नक-ख

राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के लिए व्यक्तियों का विवरण

(पासपोर्ट आकार के दो सत्यापित फोटो संलग्न करें)

1 (i) नाम
(हिंदी और अंग्रेजी में)
(ii) जन्मतिथि
(iii) जन्म का स्थान
(iv) प्रायोजक
(v) शैक्षणिक योग्यता
(vi) पता
(vii) टेलीफोन नं./मोबाइल नं.
(viii) फैक्स नं.
(ix) आधार नम्बर

2. संस्था जिससे व्यक्ति जुड़ा है तथा जुड़ाव का स्वरूप
3. गतिविधियों का क्षेत्र
4. निष्पादन के स्थान एवं क्षेत्र तथा बच्चों की संख्या सहित व्यक्ति के निष्पादन का विवरण
5. व्यक्ति के निष्पादन को किस तरह उत्कृष्ट के रूप में आंका गया है/प्रेस की कतरन/प्रमाण पत्र आदि
6. संस्था के वित्त पोषण का स्वरूप जिसके माध्यम से व्यक्ति ने काम किया है : (गत तीन वर्षों का ब्यौरा)
   I. केंद्र सरकार
   II. राज्य सरकार
   III. अन्य स्रोतों से
7. समुदाय से व्यक्ति द्वारा जुटाई गई राशि
8. अभी तक प्राप्त पुरस्कार
9. संक्षिप्त जीवन परिचय
10. व्यक्ति के कार्य के संबंध में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी की रिपोर्ट
11. सरकार/अन्य अभिकरणों द्वारा प्रायोजित, ब्यौरे सहित
12. कब से बाल कल्याण गतिविधियों में जुड़ा है

RAJIV GANDHI MANAV SEVA AWARD FOR SERVICE TO CHILDREN

INTRODUCTION

In pursuance of its policy to support and encourage voluntary action, the Government of India has decided to institute an Award to honour individuals who makes outstanding contribution towards service for children.

2. Voluntary efforts have a special place in the cumulative effort of the country in promoting the well being of the children. A number of voluntary organizations are already engaged in this work. The dimension of voluntary action and its importance in the country are expected to grow with time.

3. As a system of state recognition of voluntary efforts for the cause of children, the Government of India initiated in 1979, the Scheme of State recognition of voluntary effort in the cause of children in the country.

4. The "Rajiv Gandhi Manav Seva Award for Service to Children" recognizes individuals who have made an outstanding contribution towards service for children. Each year the National Selection Committee will select 3 individuals for the awards.

Scope

5. The Awards will be presented annually to 3 individuals who makes outstanding contribution in the following fields:

i. Child Development
ii. Child Protection
iii. Child Welfare

Nature of Awards

6. The Award for three individuals shall consist of: -

i. A cash prize of Rs. 1 lakh to each awardee;
ii. Silver plaque; and
iii. A citation to each awardee

Selection Committee

7. There shall be a National Selection Committee Consisting of the following: -

281

(i)	Minister of Women & Child Development ...	Chairperson
(ii)	Secretary, Ministry of Women & Child Development...	Member
(iii)	A representative of the Department of School Education & Literacy...	Member
(iv)	A representative of the Department of Health and Family Welfare...	Member
(v)	A representative of the M/o Social Justice & Empowerment ...	Member
(vi)	President, Indian Council for Child Welfare ...	Member
(vii)	Dean, Department of social work, Delhi University ...	Member
(viii)	Joint Secretary, Ministry of Women & Child Development	Member-Secretary

8. Each State Governments/Union Territory Administration will forward its recommendations to Ministry of Women & Child Development by 20th July every year. Particulars of the recommended individuals should be furnished in the proforma given at Annexure. Recommendations received after 20th July will not be considered.

9. The National Selection Committee may, at its discretion, also consider individuals other than those recommended by a State Governments/U.T. Administrations Experts, for the Awards.

Criteria for Selection for Individuals

10. The 3 individuals to be selected for the Awards should have worked for the cause of children for over 10 years. Paid officers of the institutions will not be eligible for selection. The sole basis of the selection will be quality of work performed by the individual for the cause of children and its significance for the cause.

Arrangements for the Awardees

11. Arrangements for the lodging and boarding of awardees shall be made by the Ministry of Women and Child Development. The awardees will receive the awards personally and not through their nominees. Only the actual expenses incurred by the awardee on this account will be paid. Local Awardees will be entitled for reimbursement of local transport charges as per government rules as may be amended from time to time.

...

9. Awards received so far :
10. A brief life-sketch of the individual :
11. Sponsored by (Govt., other agencies, etc., with details) :
12. Since when engaged in child welfare activities :
13. Remarks of the State Government :
14. Recommendation of the State Govt./UT Administration :

Signature :
Name/Designation of Recommending Authority :
Tel.No. :

.....

बच्चों की सेवा के लिए राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार

परिचय

स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने एवं सहायता प्रदान करने की अपनी नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है जो बच्चों की सेवा के लिए असाधारण योगदान करते हैं ।

2. बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए देश के समग्र प्रयास में स्वैच्छिक प्रयासों का एक विशेष महत्व है । अनेक स्वैच्छिक संगठन पहले से ही इस काम में जुटे हुए हैं । उम्मीद है कि समय के साथ देश में स्वैच्छिक कार्रवाई के दायरा एवं इसके महत्व में वृद्धि होगी।

3. बच्चों के हित के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को राज्य की ओर से पहचान प्रदान करने की प्रणाली के रूप में भारत सरकार ने 1979 में देश में बच्चों के हित स्वैच्छिक प्रयास को राजकीय पहचान प्रदान करने की योजना शुरू की ।

4. इस पुरस्कार को "बच्चों की सेवा के लिए राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार" के नाम से जाना जाएगा जो बच्चों की सेवा के लिए उत्कृष्ट योगदान करते हैं। इस स्कीम के तहत हर साल राष्ट्रीय चयन समिति तीन व्यक्तियों का चयन करेगी।

कार्यक्षेत्र

5. यह पुरस्कार हर साल ऐसे तीन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करते हैं :

I. बाल विकास
II. बाल संरक्षण
III. बाल कल्याण

पुरस्कारों का स्वरूप

6. तीन व्यक्तियों के लिए पुरस्कार के तहत निम्नलिखित शामिल होंगे :

I. प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 1,00,000/-(एक लाख) रुपये का नकद पुरस्कार; और
II. चाँदी पट्टिका
III. प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रशस्ति पत्र

चयन समिति

7. राष्ट्रीय चयन समिति की संरचना इस प्रकार होगी :

(i)	महिला एवं बाल विकास मंत्री	अध्यक्ष
(ii).	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
(iii).	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
(iv).	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
(v).	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
(vi).	अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण परिषद	सदस्य
(vii).	डीन, समाज कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय	सदस्य
(viii)	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य-सचिव

8. प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन हर साल 20 जुलाई तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अपनी सिफारिश अग्रेषित करेगा । संस्तुत व्यक्तियों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिए गए प्रारुप में प्रस्तुत करने चाहिए । 20 जुलाई के बाद प्राप्त सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

9. राष्ट्रीय चयन समिति अपने विवेक के आधार पर पुरस्कार के लिए ऐसे व्यक्तियों पर भी विचार कर सकती है जिनकी सिफारिश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नहीं की गई है ।

व्यक्तियों के चयन के मानदंड

10. पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले तीन व्यक्ति ऐसे होने चाहिएं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में बच्चों के हित के लिए काम किया है । संस्थाओं के वेतनभोगी अधिकारी चयन के लिए पात्र नहीं होंगे । चयन का एकमात्र आधार बच्चों के हित के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता तथा उनके हित के लिए उसका महत्व होगा ।

पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रबंध

11. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के आवास का प्रबंध किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्तकर्ता निजी तौर पर पुरस्कार ग्रहण करेंगे न कि अपने नोमिनी द्वारा। पुरस्कार प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय का ही केवल भुगतान किया जाएगा। स्थानीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निमयों के अनुसार स्थानीय परिवहन भारों की पूर्ति के हकदार होंगे।

अनुलग्नक

बच्चों की सेवा के लिए राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार के लिए संस्तुत व्यक्तियों का विवरण

(पासपोर्ट आकार के विधिवत रूप से दो सत्यापित फोटो संलग्न करें)

1. नाम
   (हिंदी में)
   (अंग्रेजी में)
   I. जन्मतिथि
   II. जन्म का स्थान
   III. शैक्षिक योग्यता
   IV. पता
   V. टेलीफोन नम्बर (कार्यालय/आवास)
   VI. मोबाइल नम्बर
   VII. ई-मेल
   VIII. फैक्स नं.
   IX. आधार नं.
2. संस्था जिससे व्यक्ति जुड़ा है तथा किस हैसियत से काम कर रहा है
3. क्या उसे वेतन मिलता है या अवैतनिक है
4. विस्तार के साथ गतिविधियों का क्षेत्र

i. बाल विकास	ii. बाल संरक्षण	iii. बाल कल्याण

5. निष्पादन के स्थान एवं क्षेत्र तथा बच्चों की संख्या सहित व्यक्ति के निष्पादन का विवरण
6. व्यक्ति के निष्पादन को किस तरह उत्कृष्ट के रूप में आंका गया है
7. जिस संस्था से वह जुड़ा है उसके द्वारा जुटाया गए धन का ब्यौरा (विगत 3 वर्षों के लिए वर्ष-वार)
   I. केंद्र सरकार
   II. राज्य सरकार
   III. अन्य स्रोतों से
8. समुदाय से व्यक्ति द्वारा जुटाए गए धन (विगत 3 वर्षों के लिए वर्ष-वार)
9. अभी तक प्राप्त पुरस्कार
10. व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी

255

11. प्रायोजक (सरकार, अन्य एजेंसियां आदि, विवरण के साथ)
12. बाल कल्याण की गतिविधियों में कब से लगे हैं
13. राज्य सरकार की अभ्युक्तियां
14. राज्य/सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशें

हस्ताक्षर
सिफारिशकर्ता अधिकारी का नाम/पदनाम
दूरभाष: